# आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभ

Income Tax Department

Central Board of Direct Taxes

## प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभ

मैं 60 वर्ष में की आयु की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे उपदान, पेंशन कम्यूटेशन, छुट्टी नकदीकरण, जीपीएफ आदि जैसे विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति हुई है। मैं उपर्युक्त प्राप्त लाभों की कर योग्यता के संबंध में प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ।

### आई टी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मेरे जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बुनियादी छूट सीमा क्या है? क्या सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन कर योग्य है?

निर्धारण वर्ष 2021–22 के लिए सामान्य व्यष्टि करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा, जिस आय तक उसे किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में 2.50 लाख रूपये तय की गई है। तथापि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जो 60 से 80 वर्ष की आयु के बीच के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनके लिए बुनियादी छूट सीमा 3 लाख रूपये के उच्च आंकड़े पर तय की गई है। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके लिए यह छूट सीमा 5 लाख रूपये निर्धारित की गई है। आपको प्राप्त पेंशन छूट सीमा से अधिक होने पर आय शीर्ष 'वेतन' के तहत कर योग्य होती है।

### क्या मुझे मानक कटौती का लाभ मिलेगा?

निर्धारण वर्ष 2020–21 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अंतर्गत वर्ष के दौरान अर्जित वेतन आय पर 50,000 रूपये की मानक कटौती की छूट प्रदान की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपने पूर्व नियोक्ता से पेंशन आय प्राप्त करते हैं, वे ऐसी पेंशन आय पर 50,000 रूपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।

### क्या मुझे अग्रिम कर के भुगतान से छूट दी गई है?

प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देयता 10,000 रूपये या अधिक है, अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते उसको व्यापार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत कोई आय नहीं हो।

### निर्धारण वर्ष 2021–22 के लिए मेरे लिए लागू कर की दरें क्या हैं?

निर्धारण वर्ष 21–22 के संबंध में, आप पुरानी या नई कर व्यवस्था में से विकल्प चुन सकते हैं।

## 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय की स्लैब:

| आयकर स्लैब | आयकर |
| --- | --- |
| 3,00,000/– रूपये तक | शून्य |
| 3,00,001/– रूपये से अधिक एवं 5,00,000/– रूपये तक | 5% (यदि कर योग्य आय 5 लाख रूपये तक है तो धारा 87ए के अंतर्गत कर राहत के कारण कर देयता शून्य होगी।) |
| 5,00,001/– रूपये से अधिक एवं 10,00,000/– रूपये तक | 10,000 रूपये + 5,00,000 रूपये से अधिक राशि का 20% |
| 10,00,000/– रूपये से अधिक | 1,10,000 रूपये + 10,00,000 रूपये से अधिक राशि का 30% |
| अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन) | यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपये से अधिक है (तो अधिभार 10% से 37% तक भिन्न–भिन्न हो सकता है) |
| स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर | (आयकर+अधिभार) का 4% |

## अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर के स्लैब (80 वर्ष या अधिक आयु के)

| आयकर स्लैब | आयकर |
| --- | --- |
| 5,00,000/– रूपये तक | शून्य |
| 5,00,001/– रूपये से 10,00,000/– रूपये तक | 5,00,000 रूपये से अधिक राशि का 20% |
| 10,00,000/– रूपये से अधिक | 1,00,000 रूपये + 10,00,000/– रूपये से अधिक राशि का 30% |
| अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन) | यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपये से अधिक है (तो 10% से 37% तक भिन्न–भिन्न हो सकता है) |
| स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर | (आयकर + अधिभार) का 4% |

## नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था

| आयकर स्लैब | आयकर |
|---|---|
| 2,50,000/– रूपये तक | शून्य |
| 2,50,001/– रूपये से अधिक एवं 5,00,000/– रूपये तक | 5% |
| 5,00,001/– रूपये से अधिक एवं 7,50,000/– रूपये तक | 12,500 रूपये + 5 लाख रूपये से अधिक राशि का 10% |
| 7,50,001/– रूपये से अधिक एवं 10,00,000/– रूपये तक | 37,500 रूपये + 7.5 लाख रूपये से अधिक राशि का 15% |
| 10,00,001/– रूपये से अधिक एवं 12,50,000/– रूपये तक | 75,000 रूपये + 10 लाख रूपये से अधिक राशि का 20% |
| 12,50,001/– रूपये से अधिक एवं 15,00,000/– रूपये तक | 1,25,000 रूपये + 12,50,000/– रूपये से अधिक राशि का 25% |
| 15,00,000/– रूपये से अधिक | 1,87,500 रूपये + 15 लाख रूपये से अधिक राशि का 30% |
| अधिभार (सीमांत राहत के विषयाधीन) | यदि कर योग्य आय 50 लाख रूपये से अधिक है (तो प्रतिशत 10% से 37% तक भिन्न हो सकता है।) |
| स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर | (आयकर + अधिभर) का 4% |

## क्या मुझे सेवानिवृत्ति पर प्राप्त उपदान कर से मुक्त है?

हाँ, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त उपदान निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत छूट प्राप्त है –

1. केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 या केन्द्र सरकार के संशोधित पेंशन नियमों के तहत प्राप्त कोई भी मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान।
2. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्राप्त कोई उपदान जो उस अधिनियम की धारा 4(2) और 4(3) के अनुसार की गई गणना की सीमा राशि से अधिक नहीं है।

निर्धारित सीमा तक किसी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर या उसकी सेवा की समाप्ति पर प्राप्त या उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों द्वारा उसकी मृत्यु पर प्राप्त कोई अन्य उपदान।

{(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10)}

## क्या पेंशन के कम्प्युटेशन पर मुझे प्राप्त राशि कर से मुक्त है?

हाँ, पेंशन के कम्प्यूटेशन पर प्राप्त राशि निम्नलिखित शर्तों के तहत छूट प्राप्त है–

1. केन्द्र सरकार के सिविल पेंशन (कम्प्यूटेशन) नियमों के तहत या इसी तरह की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन के कम्प्यूटेशन में प्राप्त कोई भुगतान।
2. आयकर अधियिम, 1961 में प्रदान की गई सीमा तक किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन के कम्प्यूटेशन में प्राप्त कोई भुगतान।
3. 23एएबी के अंतर्गत किसी कोष से पेंशन के कम्प्यूटेशन में प्राप्त कोइ्र भुगतान जो कि 1 अगस्त, 1966 को या उसके बाद एलआईसी द्वारा स्थापित कोष खंड है।

{आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10)}

## पारिवारिक पेंशन पर कर

पारिवारिक पेंशन पर ''अन्य स्रोत से आय'' शीर्ष के अंतर्गत कर लगाया जाता है–

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के सदस्य को नियमित रूप से मासिक आय (अनकम्प्यूटेड पेंशन) के रूप में पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। पारिवारिक पेंशन 33.33 प्रतिशत या 15,000/– रूपये से जो भी कम हो, की कटौती के उपरान्त कर योग्य है।

## क्या छुट्टी नकदीकरण के अंतर्गत प्राप्त राशि को कर से छूट दी गई है?

हाँ, छुट्टी नकदीकरण पर प्राप्त राशि को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत छूट दी गई है–

1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या अन्यथा सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद के रूप में प्राप्त कोई भी भुगतान।
2. केंद्र या राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले के 10 माह के आहरित वेतन के औसत वेतन के आधार पर गणना किए गए अर्जित अवकाश की अवधि जो 10 माह से अधिक नहीं हो, के संबंध में प्राप्त कोई ऐसा भुगतान (जो ऊपर पैरा 1 में दिया गया है)

## क्या भविष्य निधि से प्राप्त राशि को कर से छूट दी गई है?

हां, भविष्य निधि से प्राप्त राशि को कर से छूट प्राप्त है (जब भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है या भुगतान केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य भविष्य निधि से है और उसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है) इसके अलावा एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को अनुसूची 4 भाग ए के नियम 8 में प्रदान की गई सीमा तक देय संचित शेष राशि या देय योग्य होने वाली राशि।

{आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(11) और 10(12)}

## क्या सेवानिवृत्ति निधि से प्राप्त राशि कर से मुक्त है?

हाँ, एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से प्राप्त राशि को कुछ शर्तों के अधीन कर से छूट दी गई है।

{आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13)}

## चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की सीमा क्या है?

निर्धारण वर्ष 2020–21 से धारा 80डी के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक की आयु के एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी के संबंध में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान के संबंध में कटौती के

लिए अधिकतम सीमा 50,000/– रूपये है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर किए गए चिकित्सा व्यय के लिए भी 50,000/– रूपये की कटौती की भी अनुमति दी गई है बशर्ते ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई राशि भुगतान न की गई हो। इस कटौती का दावा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, चिकित्सा व्यय का भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम द्वारा भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

## चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती की सीमा क्या है?

निर्दिष्ट रोग या बीमारी की चिकित्सा उपचार के लिए आपने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान या उस अवधि के बाद किसी भी राशि का भुगतान किया है (निर्धारण वर्ष 2019–20) या अगर आप एक वरिष्ठ नगारिक है तो आप अपनी आय से 1,00,000 रूपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डीडीबी)

## क्या आप मुझे मेरे मामले में बैंक और डाकघर से अर्जित ब्याज के लिए कटौती की सीमा बता सकते हैं?

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यष्टि करदाताओं को धारा 80 टीटीए के अंतर्गत बचत बैंक खातों से ब्याज आय के संबंध में 10,000 रूपये की अधिकतम कटौती की अनुमति दी गई है। तथापि, निर्धारण वर्ष 2019–20 के बाद से 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी धारा 80टीटीबी के अंतर्गत न केवल बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज आय के संबंध में, बल्कि किसी भी बैंक में या डाकघर या सहकारी बैंकों में जमा किसी भी जमा पर अर्जित ब्याज आय पर 50,000/– रूपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित ऐसी ब्याज आय रू0 50,000/– से कम है तो ब्याज देने वाला बैंक या डाकघर ऐसे ब्याज आय में कोई कर कटौती नहीं करेंगे।

## क्या आप 'रिवर्स बंधक योजना' के तहत पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर आयकर उपबंध के संबंध में मुझे समझा सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई और अधिसूचित की गई रिवर्स बंधक योजना के अनुसार एक रिवर्स बंधक के रूप में एक आवासीय गृह संपत्ति के हस्तांतरण, पूंजी अभिलाभ के रूप में कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है (और न ही आय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत)

## मैनुअल आयकर विवरणी दाखिल करने की पात्रता क्या है?

अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष या अधिक आय के हैं व फार्म SAHAJ(ITR-I) या SUGAM (ITR-4) में आयकर विवरणी दाखिल करते हैं और जिनकी कुल आय 5 लाख रूपये से अधिक है या जिन्होने रिफंड का दावा किया है, वे अपनी आयकर विवरणी पेपर मोड में दाखिल कर सकते हैं। ऐसे व्यष्टियों के लिए ITR-I या ITR-4 (जैसा भी मामला हो) इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य नही है। हालांकि, यदि वे चाहें तो ई–फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

## किन परिस्थितियों में निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही है ?

निर्धारण वर्ष 2022–23 से 75 वर्ष या अधिक के वरिष्ठ नागरिको के मामले में, जिन्हें केवल पेंशन से आय प्राप्त होती है और जिस बैंक में पेंशन प्राप्त होती है केवल उसी बैंक के खाते में ब्याज आय प्राप्त होती है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही है। निर्दिष्ट बैंक उसकी कुल आय की गणना, अधिनियम की धारा 87ए के अंतर्गत छूट और खंड-IV-A के अंतर्गत स्वीकार्य विभिन्न कटौतियों का लाभ देने के उपरांत कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 पी)

डिज़ाइन एंड प्रिंटेड: एक्सेल प्रिंटिंग यूनिवर्स, नई दिल्ली

incometaxindiaofficial
IncomeTaxIndia
IncomeTaxIndia.Official
YouTube Income Tax India

December, 2021

**DIRECTORATE OF INCOME-TAX**
(Public Relations, Publications & Publicity)
6th Floor, Mayur Bhawan, New Delhi



www.incometax.gov.in